भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2142
गुरुवार, 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोहरे के कारण उड़ानों में व्यवधान

2142. श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्रीमती भारती पारधीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शीत ऋतु में कोहरे के कारण उत्पन्न होने वाली उड़ान संचालन संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कोहरे से संबंधित उड़ान व्यवधानों को कम करने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन परामर्शों के दौरान चिह्नित किए गए प्रमुख उपाय क्या हैं;
(ग) कोहरे से संबंधित चुनौतियों के प्रबंधन हेतु तैयारियों और सहयोग को बढ़ाने में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जैसे अभिकरणों की भूमिका क्या है;
(घ) कोहरे के दौरान होने वाले विलंब को कम करने के लिए तकनीकी समाधानों को एकीकृत करने और हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) ये पहलें "उड़ान में सुगमता" के उद्देश्य के किस प्रकार अनुरूप हैं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में यात्रियों के अनुभव को कैसे बेहतर बनाती हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): कम दृश्यता में परिचालनों की तैयारी का आंकलन करने के लिए मंत्रालय ने डीजीसीए, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय वायु सेना (आईएएफ), एयरलाइन प्रचालकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एयरोड्रोम प्रचालकों सहित अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित कीं।

इस विचार-विमर्श के दौरान, पहचान किए गए प्रमुख उपायों में उन्नत परिचालन योजना, उपयुक्त रूप से सुसज्जित विमान और प्रशिक्षित उड़ान चालक दल की तैनाती, हितधारकों के बीच बेहतर समन्वयन, मौसम संबंधी जानकारी का समय पर प्रसार और कम दृश्यता संबंधी प्रक्रियाओं का पालन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कोहरे संबंधी व्यवधानों को कम करना और सुचारू उड़ान परिचालन सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल मौसम स्थितियों से उत्पन्न होने वाले हालातों से निपटने के लिए मंत्रालय और डीजीसीए ने सभी अनुसूचित एयरलाइनों को एसओपी के रूप में निर्देश जारी किए हैं। एएआई के स्वामित्व वाले हवाईअड्डों पर मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए एएआई ने कोहरा संबंधी तैयारी के लिए मैनुअल भी जारी किया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने तैयारी, सभी प्रकार के मौसम में परिचालनों और यात्रियों की सहायता के लिए व्यापक फ्रेमवर्क के संबंध में परिचालन परिपत्र (ओसी) 3/2025 जारी किया है।

यात्री-केंद्रित गवर्नेंस बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने एक स्थायी, 24x7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (पीएसीआर) स्थापित किया है। इस पहल में उड़ान व्यवधानों, सामान संबंधी मुद्दों और रिफंड की रियल टाइम निगरानी के लिए नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एयरलाइनें एकीकृत रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण में तेजी लाना और समग्र यात्रा अनुभव में सुधार करना है। कई यात्रियों ने संतोष व्यक्त किया है कि उनकी शिकायतों को स्वीकार करके उनका तुरंत समाधान किया जाता है और उन्होंने इसकी सराहना की है।
